(12)

कार्यालय, वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना।

अरण्य भवन, द्वितीय तल, शहीद पीर अली खाँ मार्ग (राईडिंग रोड) पटना– 800014

Ph. No. 0612-2220152, e-mail - cfpatnacircle@gmail.com

पत्रांक– 1729 /

प्रेषक,

डॉ० गोपाल सिंह, भा०व०से०
वन संरक्षक,
पटना अंचल, पटना।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
–सह– नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक 17/10/2017

विषय :– **रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० द्वारा जहानाबाद–राजगीर पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।**

प्रसंग :– भवदीय कार्यालय ज्ञापांक–320 दिनांक–15.05.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के पत्रांक–2129 दिनांक–09.09.2017 द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के शर्तों का पालन किए हुए ही कार्य करा लिया गया है, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेंसी से दण्डनात्मक क्षतिपूरक वनारोपण हेतु अतिरिक्त राशि की मांग की गयी है :–

वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा समर्पित प्राक्कलनों का विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	स्थल का नाम	क्षेत्र का नाम	कि.मी.	पौधों की सं०	प्राक्कलित राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	नानन्दन धरहरा सैनिक स्कूल रोड	राजगीर	–	400 लौह गैबियन	23,09,058	क्षतिपूरक वनरोपण
2	राजगीर पी.एफ	राजगीर	0.9 हे०	1250 बौनी प्रजाति के पौधे	4579263	दण्डनान्तमक क्षतिपूरक वनरोपण

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक–2129 दिनांक–09.09.2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा समर्पित प्रस्ताव को प्रपत्र–III में अंकित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय सेवा में 5 प्रतियों में भेजा जा रहा है।

अनु०– यथोक्त।

1411
23/10/17

विश्वासभाजन,
17/10/17
वन संरक्षक,
पटना अंचल, पटना।

CF, Patna (Yr.16-17) APCCF